बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संοसं09/आ0–4–20/2013 /स्वा0/पटना,दिनांक /जमुई थाना कांड सं0 95/13 में निर्गत न्यायादेश ज्ञापांक 399 दिनांक 30.07.2013 के आलोक में डा0 अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई संप्रति अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हाजीपुर द्वारा विचाराधीन कैदी मुन्ना सिंह का Medical Examination के वगैर केवल खानापूर्ति करते हुए कागजी कार्रवाई पर Medical Fitness प्रमाण पत्र देने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0 872(9) दिनांक 05.10.2012 संशोधित संकल्प सं0 809(9) दिनांक 16.08.16 एवं 1123(9) दिनांक 13.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक 1066(9) दिनांक 26.9.18 द्वारा डा0 अरूण कुमार सिंह द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई। प्रत्युत्तर में समर्पित अपने अभ्यावेदन दिनांक 14.01.19 में डा0 सिंह ने सारांशतः उल्लेख किया कि मरीज (कैदी मुन्ना सिंह) दिनांक 22.6.2016 को उनके पास ईलाज के लिए लाया गया तब उसकी स्थिति सामान्य थी एवं मरीज के द्वारा किसी प्रकार का specific complain नहीं किया गया था तथा पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जख्म प्रतिवेदन निर्गत नहीं किया गया था। मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई जॉच रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाए गए जख्म में कहीं भी समानता नहीं है। डा0 सिंह द्वारा विचाराधीन कैदी मुन्ना सिंह को देखने एवं मृत्यु होने तक की तिथि में 9 दिनों का अन्तर है। उक्त स्थिति में डा0 सिंह के अनुसार उनके द्वारा Examine and found fit का आउटडोर पर्ची पर लिखना न्याय संगत है।

आरोप, अधिगम एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा की सम्यक समीक्षोपरांत गृह विभाग, बिहार का मन्तव्य प्राप्त किया गया। गृह विभाग से प्राप्त मन्तव्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 अरूण कुमार सिंह तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई संप्रति अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हाजीपुर को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: 476 (9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 22/4/2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन जमुई /वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई संप्रति अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22.04.19

सरकार के अवर सचिव

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx